भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4171
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)
स्वयं-सहायता समूह द्वारा व्यापार करने में आसानी

4171. श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री पी. पी. चौधरी:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री भोजराज नाग:
श्री जनार्दन मिश्राः
सुश्री कंगना रनौत:
डॉ. लता वानखेड़े:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों द्वारा संचालित उद्यमों के लिए व्यवसाय में सुगमता में सुधार हेतु सरकार द्वारा विशेषकर छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार क्या पहल की गई है;
(ख) स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों को बाजार तक पहुंच और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ की गई साझेदारियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों , विशेषकर महिलाओं को उन्नत प्रशिक्षण और विपणन कौशल प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और
(घ) उक्त डीएवाई-एनआरएल मिशन के अंतर्गत लाभान्वित हुए स्वयं-सहायता समूहों की संख्या कितनी है और राजस्थान में भीलवाड़ा , उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जयपुर जैसे ग्रामीण जिलों सहित उनकी सदस्यता संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) मंत्रालय ने कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादकों को राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए क्रमशः फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए पतंजलि के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए मंत्रालय द्वारा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा, कुछ राज्यों ने भी एसएचजी के उत्पादों के विपणन में सहायता करने के लिए अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया है। मंत्रालय ने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर ग्रामीण महिला एसएचजी उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए ओएनडीसी के साथ समझौता किया है।

छत्तीसगढ़ में, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर (ओएसएफ), सूक्ष्म उद्यम विकास (एमईडी) के माध्यम से अपने उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जाती है। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को सरस आजीविका मेलों के आयोजन के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को विपणन कौशल सहित विभिन्न पहलुओं पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। मिशन के अंतर्गत, हर साल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को अन्य के साथ साथ विपणन कौशल के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत समर्थित ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों/उद्यमियों के क्षमता निर्माण के लिए विपणन कौशल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित करता है। एनआईआरडीएंडपीआर ने पिछले तीन वर्षों में ब्रांडिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, मूल्य श्रृंखला विकास, ई-मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, निर्यात विपणन, बिक्री संचार आदि पर 44 प्रशिक्षण सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(घ) डीएवाई-एनआरएलएम ने राजस्थान में 319296 स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत 3128761 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को संगठित किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा , उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जयपुर जिलों में गठित स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की संख्या इस प्रकार है:-

जिला	कुल स्वयं सहायता समूह	स्वयं सहायता समूहों के सदस्य कुल
भीलवाड़ा	13397	128046
उदयपुर	15788	172966
सलूम्बर	5438	61697
डूंगरपुर	13319	138451
प्रतापगढ़	7748	77668
जयपुर	10726	98301

*****